रीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
02.2020	वकील अप्रार्थीगण उपस्थित। अधिवक्ता अप्रार्थीगण उर्जाराम पटेल की प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 86/2 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की बहस सुनी गई। प्रार्थी की ओर से तहसीलदार लूणी द्वारा लिखित बहस प्रस्तुत की गई। लिखित बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया , लिखित बहस में ये कथन किया कि माननीय न्यायालय के निर्णय दिनांक 10.05.16 अनवान मांगी देवी बनाम भेराराम वगैराह में पारित निर्णय एक पक्षीय रुप से पारित किया गया एवं उक्त कृषि भूमि का बंटवाडा पूर्व में हो चूका है। इसलिए निर्णय दिनांक 10.05.16 को अपास्त किया जावें। अप्रार्थीगण के अधिवक्ता ने दौराने बहस कथन किया कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 86/2 भू राजस्व अधिनियम के तहत पोषणीय नही है। राजस्व वाद से 86/2011 का निर्णय पक्षकारों के मध्य सहमति से बाई मिट्स एण्ड वाउण्डस् बंटवाडा करने की डिक्री पारित की गई। जिसमें तहसीलदार मात्र प्रर्फोमा पक्षकार है। बंटवाडे में किसी भी प्रकार से राज्य सरकार का हित प्रभावित नहीं होता है। उक्त निर्णय सभी पक्षकारों के राजीनामे से हुआ है एवम उक्त निर्णय के विरुद्व रिव्यू प्रार्थना पत्र पेश नहीं किया जा सकता है। यदि निर्णय के विरुद्व सिर्फ अपील पेश की जा सकती है.। उक्त वाद में निर्णय राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत पारित किया गया जबकि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र भू राजस्व अधिनियम में पेश किया गया, जो पोषणीय नहीं होने से खारिज योग्य हैं। हमने उभयपक्षो की बहस पर मनन किया । प्रार्थना पत्र के साथ सलग्न दस्तावेजो का अवलोकन किया। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 86 भू राजस्व अधिनियम में यदि कोई पक्षकार आहत है तो उसी न्यायालय में तीस दिवस के भीतर–भीतर उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर सकता हैं, परन्तु उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने में की गई लिमिटेशन बाबत् प्रार्थी द्वारा कोई ठोस कारण न्यायालय के समक्ष पेश नहीं किया गया। यदि निर्णय एक पक्षीय पारित किया गया है तो उक्त निर्णय के विरुद्व कोई भी पक्षकार अपील प्रस्तुत करने हेतु स्वतंत्र है । इस न्यायालय द्वारा 10.05.2016 अनवान मांगी देवी बनाम भेराराम वगेराह राजस्व मूल वाद संख्या 66/2011 में पारित निर्णय सभी पक्षकारों की सहमति व राजीनामा राजस्व लोक अदालत कैम्प कोर्ट लूणी में पारित किया गया है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 86/2 सारहीन होने से खारिज किया जाता है। आदेश सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।	

Scanned by CamScanner